तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज ई. सी. एक्ट, 1955 प्रार्थना–पत्र संख्या 06/2022 एवं 7/2022 वागजी पटेल बनाम सरकार जरिये पुष्पेन्द्र सिंह चौधरी जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर	नम्बर व तारीख अहकाम की द्वारा हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थी श्री वागजी पटेल पिता श्री नाथुजी पटेल निवासी हथाई तहसील व जिला डूंगरपुर बाहैसियत वाहन मालिक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए (ख) ई. सी. एक्ट, 1955 के तहत वाहन ट्रक जिनका रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-12-GA-1721 एवं GJ-09-AU-7211 को छुडवाने बाबत पृथक्–पृथक् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी वाहन ट्रक संख्या RJ-12-GA-1721 एवं GJ-09-AU-7211 का रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी के उपरोक्त वाहन जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 11.01.2022 को अपनी तहवील मे लिया जाकर पुलिस थाना दोवडा में रखा गया है। उक्त वाहन प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र श्री दिनेश पटेल को किराये पर दिया गये थे। प्रार्थी के वाहन मे गेहूं भरे होने के आधार पर जब्त किया गया है। वाहन किराये पर लिये जाते समय वाहन में भरी जाने वाली सामग्री के सम्बन्ध में प्रार्थी वाहन मालिक को कोई जानकारी नही थी। प्रार्थी का उस गेंहू से कोई सरोकार नही है तथा उपरोक्त श्री दिनेश पटेल का ही है। श्री दिनेश पटेल प्रार्थी से प्रथक् रहकर अपना व्यवसाय करता है और पृथक् निवास करता है। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी के राशन डीलर होने के आधार पर गलत रूप से वाहन में जब्त गेंहू से जोडा जा रहा है जबकि वाहन में जब्त गेहूं का ना तो प्रार्थी मालिक है ना उसका उपरोक्त गेहूं से कोई सरोकार था और ना है। प्रार्थी का वाहन गलत रूप से जिला रसद अधिकारी द्वारा अपनी तहवील में लिया गया है। प्रार्थी के वाहन को छोडा जाना आवश्यक है जिस हेतु प्रार्थी उचित सुपुदर्गीनामा व जमानतनामा प्रस्तुत करने तत्पर है। वाहन सुपुदर्गी पर दिये जाने पर श्रीमान् द्वारा जो भी शर्ते लगाई जायेगी उसका वाहन मालिक द्वारा पूर्ण रूप से पालना की जायेगी। वाहन पुलिस थाने में खुले में पडे हुए है जिससे वह खराब हो रहे है तथा खराब होने की पूर्ण संभावना है उसमें जंग लगने की पूर्ण संभावना है तथा मशीनरी आदि खराब हो जायेगी। प्रार्थी के वाहन नही छोडे जाने पर प्रार्थी न्याय से वंचित होगा। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी के वाहन मात्र कयास के आधार पर अपनी तहवील में लिये गये है। प्रार्थी के उपरोक्त वाहन ट्रक नं0 RJ-12-GA-1721 एवं GJ-09-AU-7211 जमानत पर छोडे जाने के आदेश प्रदान करावें।

जिला रसद विभाग के विभागीय प्रतिनिधि ने बताया कि दिनांक 11.01.2022 को उपाधीक्षक वृत्त आसपुर द्वारा गेंहू के 2 ट्रक लूज गेंहू से भरे हथाई गांव में डिटेन किये गये जिसकी सूचना तत्कालिन जिला रसद अधिकारी को दी जाने पर प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक एवं विधिक माप निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुँचकर वाहनो का निरीक्षण किया। दोनो वाहनों में लूज गेंहू भरा पाया। मौके पर संग्रहित गेंहू के बिल बिल्टी वाहन रजिस्ट्रेशन– वाहन सं. RJ-12-GA-1721 में मैसर्स मीत ट्रेडिंग हथाई प्रोपराइटर श्री दिनेश पटेल द्वारा बिल नम्बर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

123 बिल्टी नम्बर 125 मयंक ट्रांसपोर्ट डूंगरपुर द्वारा 20 टन गेहूं महेश स्माल एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट अपोजिट विद्यानगरी स्कूल होप काठवड हिम्मतनगर को जारी है। वाहन सं. GJ-09-AU-7211 बिल नम्बर 17 बिल्टी नम्बर 101 मयंक ट्रांसपोर्ट डूंगरपुर द्वारा 20 टन गेहूं महेश स्माल एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट अपोजिट विद्यानगरी स्कूल होप काठवड हिम्मतनगर को 10 जनवरी 2022 को जारी है जबकि श्री निलेश खांट विधिक निरीक्षक द्वारा उक्त दोनों का ट्रको का वे–ब्रिज पर सत्यापन करने पर बिल्टी से 4780 कि.ग्रा. गेहूं अधिक पाया गया। उक्त दोनो वाहनो का रजिस्ट्रेशन श्री वागजी के नाम से होने के कारण राशन डीलर वागजी की दुकान का निरीक्षण करने पर वागजी राशन डीलर की पोस मशीन संख्या 5550 सेन्टर हथाई ब्लॉक दोवडा के गेहूं का स्टॉक 44221.81 के स्थान पर 786 कट्टों में 24255.58 कि.ग्रा. गेहूं पाया गया जो कि स्टॉक से 19966.24 किग्रा. भौतिक सत्यापन पर कम पाया गया। उक्त वाहन राशन डिलर से सम्बन्धित होने से एवं संदिग्ध परिवहन के कारण दोनो वाहनो मे संग्रहित गेहूं 44780 कि.ग्रा. राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम डूंगरपुर के स्टोर कीपर श्री रमेश गमेती को सुपूर्द किया गया तथा दोनो खाली वाहन पुलिस थाना दोवडा की अभिरक्षा में रखवाये गये।

बहस के दौरान प्रार्थी अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र मे पेश किये तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का जप्त शुदा वाहन पिछले करीब 3 माह से पुलिस थाना दोवडा के परिसर में पडा–पडा खराब हो रहा है और वाहन को अनिश्चित समय तक थाने में रोके नहीं रखा जा सकता है, जिन्हें सुपुर्दगीनामा एवं जमानत पर छोडा जाना न्यायोचित है। उक्त वाहन लम्बे समय तक पुलिस थाना दोवडा में रख–रखाव के अभाव में मशीनरी खराब होने का अंदेशा है। प्रार्थी उक्त वाहन को मुक्त कराने हेतु सुपुर्दगीनामा एवं जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण एसबी किमिनल मिस.पीटिशन नंबर 590/2002, निर्णय दिनांक 6.08.2002 बाबूलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की रूलिंग पेश की गयी एवं उक्त वाहनों को रिलीज किये जाने की प्रार्थना की है।

बहस के दौरान जिला रसद विभाग के विभागीय प्रतिनिधि ने रिपोर्ट मे पेश किये तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र दिनेश को ट्रक किराये पर दिये गये थे, पर इस संबन्ध में कोई किरायानामा पेश नही किया। प्रकरण मे मीत ट्रेडिंग हथाई के प्रोपराइटर श्री दिनेश पटेल द्वारा उक्त वाहनो में भरा गेहूं बिल्टी एवं चालान अनुसार महेश स्माल एग्रो प्रोसेसिंग होप काठवड हिम्मतनगर को भेजना बताया गया था जबकि उक्त फर्म द्वारा जिला रसद कार्यालय को मेल प्रस्तुत कर बताया है कि उपर्युक्त दोनो वाहनो के बारे में उन्हे कोई जानकारी नही है अर्थात पेश की गयी बिल्टी भी फर्जी है। यह भी बताया की प्रकरण में दिनांक 28.03.2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0103 पुलिस थाना दोवडा में दर्ज करायी गयी है।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर